न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला,
जिला–मोहला मानपुर अं०चौकी (छ.ग.)

राजस्व प्र० क० 202603300300013 / अ–62 / 2025–26

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग
मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.)

....आवेदक

छ०ग०शासन

विरुद्ध

....अनावेदक

/ /आदेश/ /

(पारित दिनांक 05/ 05/ 2026)

आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.)के पत्र कमांक / 622 / तक / 1315 / 2026 मो0मा0अं0चौकी 02 / 03 / 2026 के अनुसार संभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य अंतर्गत 04 नग सूखे वृक्षों की विदोहन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

02. प्रकरण अ–62 में पंजीयन किया गया।

03. प्रकरण में वृक्षों के विदोहन के सबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहला एवं राजस्व निरीक्षक मोहला, वनपाल, वन परिक्षेत्र मोहला से संयुक्त स्थल कर जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट लिया गया। उपरोक्त संभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य अंतर्गत 04 नग सूखे वृक्षों की विदोहन की अनुमति प्रदान किये जाने कें संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक, वनपाल, द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर कुल **4 नग सूखे** वृक्षों की प्रजाति प्रस्तावित सूची प्रेषित की गई हैः–

क.	ग्राम का नाम	खसरा नं	रकबा	भूमि का प्रकार	वृक्ष की प्रजाति एवं स्थिति	वृक्षों की गालाई (घ.मी.)
1	माड़िंग पिड़िंग धेनू	327	0.490	शासकीय घांस मद की भूमि	सागोन(सूखा)	140 C.M.
2					सागोन(सूखा)	130 C.M.
3					सागोन(सूखा)	160 C.M.
4					सागोन(सूखा)	260 C.M.

प्रकरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनॉक 24.11.2022 राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनोंक 24. 11.2022 की अधिसूचना कमांक एफ 4–03 / 7–1 / 2022 एवं छ.ग. भू. रा. सहिता 1959 कीप्रकरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनॉक 24.11.2022 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 24.11.2022 की अधिसूचना कमांक एफ 4–03 / 7–1 / 2022 एवं छ.ग. भू. रा. सहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्सठ) एवं (बैसठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई को विनियमित या रोकने संबंधी नियम अधिसूचना कमांक एफ–2–8–सात–शा–8–94 दिनोंक 29.07.1997 तथा शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में ईमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में नियम अधिसूचना कमांक 218–6477–सात नियम दिनाक 06.01.1960 को अतिष्ठित किये गये नियम 03 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहला एवं राजस्व निरीक्षक मोहला, वनपाल, वन परिक्षेत्र मोहला के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य माडिंग पिडिंग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राज. मोहला
सत्यमेव जयते
जिला मोहला मानपुर अं. चौकी (छ.ग.)

धेनू में स्थित 04 नग सूखे सागोन वृक्षों को छ.ग. भू–राजस्व संहिता की धारा 240 के तहत् लोकहित में काटे जाने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है।

1. प्रभावित वृक्षों को काटे जाने की अपेक्षा यदि संभव हो तो अन्यंत्र स्थानांतरित करने की [illegible] जायें।

2. काटे जाने वाले वृक्षों का यदि कोई मुआवजा हो तो वृक्ष काटने के पूर्व संबंधित भूमि स्वामी को विधिवत्त भुगतान की कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा।

3. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किया जावेगा।

4. काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना संख्या में (कम से कम 5 फीट की उंचाई वाले) वृक्षा रोपण चयनित स्थान पर किया जावेगा तथा वृक्ष कटाई के साथ साथ चिन्हांकित स्थल पर कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) द्वारा कराया जावेगा।

5. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) द्वारा की जावेगी।

6. काटे गये वृक्ष के काष्ठ को वन विभाग अं0चौकी अपने निकटतम डिपों में परिवहन कर विक्रय पश्चात प्राप्त धन राशि राजस्व मद में जमा कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें।

7. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षों को ना काटा जावे।

8. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई वन पैदावार काटी जावेगी ना ही ले जाई जावेगी।

9. वृक्षों की कटाई में वन विभाग, विद्युत मंडल एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से किया जावे तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहेगें।

10. उक्त शर्तो के उल्लघंन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावें।

यह आदेश आज दिनाँक 05/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मोहला,
जिला–मोहला मानपुर अं0चौकी
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व –मोहला (छ.ग.)

पृ कमांक /420/ अविअ/2026 दिनाँक 05/05/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय मोहला मानपुर अं०चौकी की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी मोहला की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार मोहला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5.. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मोहला,
जिला–मोहला मानपुर अं0चौकी
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व –मोहला (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राज. मोहला
सत्यमेव जयते
जिला मोहला मानपुर अं. चौकी (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner